न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष संख्या 14 बुलन्दशहर ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2948/2026

कुलदीप पुत्र किशनस्वरूप,निवासी नगला बरी, थाना विजयगढ़, जनपद अलीगढ़।

..........अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

मु0अ0संख्या–771/2026
धारा–136,137 विद्युत अधिनियम।
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, बुलन्दशहर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **कुलदीप** की ओर से उपरोक्त अभियोग में मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक (विद्युत विभाग) को सुना।

3. अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त केस में झूँठा नामित किया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त का कहीं भी नाम नहीं है। अभियोजन द्वारा दर्शायी गयी घटना का कोई भी जन साक्षी नहीं है। एस0ओ0जी0 टीम आवेदक/अभियुक्त को घर से उठाकर थाने लायी और दो दिनों तक अवैध अभिरक्षा में रखा, जो भी बरामदगी दिखायी गयी है, संयुक्त दिखायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 14.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। आवेदक/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. विशेष लोक अभियोजक(विद्युत विभाग) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर ट्रांसफार्मर खोलकर उसके कोईल व तेल की चोरी की है और अभियुक्तगण के पास से चोरी गया तार बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों का मय केस डायरी अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अंशुल चौधरी, अवर अभियन्ता ने दिनांक 03.04.2026 को थाना एण्टी पावर थेफ्ट, बुलन्दशहर पर इस आशय की तहरीर दी कि दिनांक 02.04.2026 की रात्रि में भारद्वाज स्मार्ट सिटी कालोनी आस्था स्कूल के पीछे बंगराई कला खुर्जा में 250 केवीए परिवर्तक जमा योजना में लगा हुआ है, को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर कापर के तार व तेल चोरी कर लिया गया है। उक्त तहरीर

Digitally signed by CHANDRA VIJAY SRINET
Date: 2026.06.06 15:02:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के आधार पर थाना हजा पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धारा–136 विद्युत अधिनियम में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित हुई।

7. दौरान विवेचना दिनांक 13.05.2026 को पुलिस पार्टी द्वारा चैकिंग के दौरान आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्तगण नीरज शर्मा, अरमान अली, दीपक कुमार व संतोष कुमार के साथ मय वाहन स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 सं0 एच.आर. 55एजी 7559 एवं कार यू0पी0 81 एफ.टी 3227 के साथ पकड़ जाना कहा गया है तथा संयुक्त रूप से चोरी का एल्यूमिनियम एवं कॉपर तार बरामद हुआ है।

8. फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष की गयी जुर्म संस्वीकृति के आधार पर उसका नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त नामजद एफ0आई0आर0 नहीं हैं। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 14.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्त नीरज शर्मा की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई विशिष्ट रौल दर्शित नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त कुलदीप का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अंकन–50,000/रू0 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(चन्द्र विजय श्रीनेत)

दिनाँक–06.06.2026

विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं014,बुलन्दशहर।
JO Code UP 6277

स्टैनो–सुन्दर सिंह